निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 35/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. परसादी पुत्र गोमा
2. भगवान सहाय पुत्र कुशाल
3. शंकर
4. रामधन
5. जयराम
6. रामेश्वर प्रसाद

पुत्रान मूला

7. रेशमी देवी पत्नी श्री रामजीलाल पुत्र मूला
8. महेश पुत्र रामजीलाल पुत्र मूला
9. संदीप पुत्र रामजीलाल पुत्र मूला
10. संजना देवी पुत्री रामजीलाल पुत्र मूला
11. गुल्ली देवी पुत्री रामजीलाल पुत्र मूला
12. भगवती देवी उर्फ भागो देवी पुत्री रामजीलाल
13. पताशी देवी पुत्री मूला
14. तीजा देवी पुत्री मूला
15. रोशनी देवी पुत्री मूला
16. उमराव पुत्र परता
17. मेवा देवी पत्नी हीरालाल
18. प्रकाश पुत्र हीरालाल
19. वीरवल पुत्र हीरालाल
20. गणेश पुत्र परता सुरजी देवी पुत्र कुशाल
21. रामेश्वरी देवी पुत्री कुशाल
22. रूडा देवी जिला जयपुर

समस्त जाति यादव, निवासी ग्राम भगतपुरा तन जयसिंपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रूडा पुत्र पन्ना (फौत जरिये कायम मुकान महादेव प्रसाद दत्तक पुत्र रूडा जाति अहीर (यादव) निवासी भगतपुरा तन जयसिंह पुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।
2. मंगली देवी पत्नी गोपीराम
3. शंकर पुत्र भग्गुराम
4. गणेश पुत्र भग्गुराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम भगतपुरा तन जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

5. श्रवण देवी पुत्री भग्गुराम पत्नी साधूराम जाति यादव निवासी कुनेड, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।

कलक्टर
मुर

6. आंची पुत्री भग्गूराम पत्नी हनुमान उर्फ सूजाराम यादव, निवासी कुनेड, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।
7. धोली पुत्री भग्गुराम पत्नी सरवण यादव निवासी कुनेछ तहसील पावटा जिला जयपुर
8. सुरजी देवी पुत्री भग्गुराम पत्नी श्रीराम यादव जाति यादव निवासी नानोलियों की ढाणी तन नीलका, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
9. परबो देवी पुत्री भग्गुराम पत्नी प्रहलाद यादव निवासी भगतपुरा तहसील विराटनग जिला जयपुर ।
10. कमली देवी पुत्री भग्गुराम पत्नी जयराम यादव निवासी ढाणी चौलाई, तन लाडा का वास, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।
11. धूडा पुत्र श्योनारायण
12. दाताराम पुत्र घीसा
13. तेजपाल उर्फ तेजाराम पुत्र घीसा
14. पांच देवी पत्नी महादेव
15. देबू पुत्र महादेव
16. शिम्भू पुत्र महादेव
17. कैलाश चुत्र महादेव

    समस्त जाति यादव अहीर, निवासी ग्राम भगतपुरा, तन जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
18. अणची देवी पुत्री महादेव पत्नी बाबूलाल
19. फूली पुत्र महादेव पत्नी हजारी लाल

    जाति यादव अहीर, निवासी पुरानी वडकी ढाणी, तन पाथरेडी, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
20. संती देवी पुत्री महादेव पत्नी वनवारी जाति यादव निवासी टेलाडा की ढाणी, तन बावडी, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।
21. श्री राजवरीर सिंह यादव आ ए एस उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ।
22. तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बावत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2012 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2012 व उनवानी मूला वगैरह वनाम रूडा वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बावत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री हेमन्त दीक्षित अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. अप्रार्थी हिमान्शु सोगानी 3, 4, 8, 12, 13, व 17 की ओर से है।

निर्णय दिनांक 16.03.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष प्रकरण संख्या 34/2012 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2012 ब उनवानी भूला वगैरह बनाम रूडा वगैरह विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 12, 13, व 17 की ओर से अधिवक्ताश्री हिमान्शु सोगानी उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण का पूर्व से ही वाद संख्या 34/2012 व टी आई संख्या 25/2012 उनवानी भूला वगैरह बनाम रूडा वगैरह लम्बित है, जिसमें दिनांक 07.05.2012 को टी आई जारी करके अप्रार्थीगण को पाबन्द किया हुआ है किन्तु इसके पश्चात भी पीठासीन अधिकारी विराटनगर ने अप्रार्थी के नये वाद उनवानी मंगली बनाम परसादी मु॰ नं॰ 4/2021 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 4/2021(10/2021) के माध्यम से दिनांक 12.01.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कके दिनांक 10.02.2021 तक प्रार्थीगण को भी टी आई से एक पक्षीय रूप से पाबन्द कर दिया । जिस कारण प्रार्थी को यह युक्ति युक्त आशंका हो गई कि उसे अधीनस्थ न्यायालय से कतई न्याय प्राप्त नही हो सकेगा । इस कारण प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। दिनांक 27.01.2021 को जब वादीगण प्रार्थीगण अपने पुराने वाद संख्या 34/2012 उनवानी भूला वगैरह बनाम रूडा वगैरह की पेशी पर गये तो उन्होंने विपक्षी पक्षकारान को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बहार निकलते हुए देखा तथा बाहर आकर उन्होंने प्रार्थी को एलनिया रूप से धमकी दी कि अब हमने अधिकारी पर दबाव डला दिया है तथा हम बहुत ही राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा तुम्हारे पक्ष में जारी टी आई को हम जल्द ही खारिज करा देंगें। इसके पश्चात प्रार्थीगण अपने अभिभाषक के पास तारीख पेशी लेने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में पेशी 02.02.2021 दी है। तब हमें और पक्की आशंका हो गई कि आज अचानक ही इस प्रकरण में इतनी नजदीक की मात्र 6 दिन की तारीख पेशी क्यो दी गई इसके पश्चात प्रार्थीगण दिनांक 02.02.2021 को पेशी पर न्यायालय में गये तो पीठासीन अधिकारी ने खुले रूप में ही हमारे अभिभाषक को कहा कि इस वाद में जल्दी जल्दी कार्यवाही करके मुझे फैसाला करना है तथा पेशी 10.02.2021 नियत कर दी । उक्त सभी गतिविधियों व न्यायालय की कार्य प्रणाली से प्रार्थीगण को यह युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो चुकी है कि उसे पीठासीन अधिकारी विराटनगर से कोई न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा । इस कारण भी उक्त दोनों प्रकरणों को किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालनय में अन्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. अप्रार्थी अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थीगण ने एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है इसलिए प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से मिथ्या कथन अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2012 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2012 व उनवानी मूला वगैरह बनाम रूडा वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में मुन्तकिल किया जाता है।
9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर